न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/367
दायरा तिथि : 04.07.2025
आदेश तिथि : 11-05-26

प्रार्थीः–

तुलसाराम पुत्र खेताजी जाति घांची निवासी करनवा तहसील बाली जिला पाली(राज)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. चुन्नीलाल पुत्र वरदाराम
2. तुलसी देवी पत्नी वरदाराम
3. नाथाराम पुत्र वरदाराम
4. मदनलाल पुत्र वरदाराम
5. रमेश कुमार पुत्र वरदाराम
   जातिगण घांची निवासीगण करनवा तहसील बाली जिला पाली
6. तहसीलदार(भूमिधारी) बाली तहसील बाली जिला पाली (राज)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रास्ता विस्तार

आदेश दिनांक : 11-05-26

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2333 रकबा 1.2500 हैक्टर में आवागमन हेतु रास्ते के विस्तार हेतु अप्रार्थी की भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 4080/2331 रकबा 1.9200 हैक्टर की भूमि मेंसे नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग के अनुसार नया विस्तारित मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख सेवाडी को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2025/3324 दिनांक 29.11.2025 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 2333 में वर्तमान में आवागमन हेतु खसरा न. 2334 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता का उपयोग किया ज रहा है, जो कि केवल 2 मीटर चौड़ा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते का विस्तार करवाना चाहता है, प्रार्थी ने खसरा न. 4080/2321 में विस्तार हेतु खसरा न. 2334 के सहारे–सहारे 4 मीटर रास्ता चाहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नही है। यही एकमात्र इकलौता स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम मार्ग है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में अप्रार्थीगण चुन्नीलाल पुत्र वरदाराम जाति घांची वगैरा की खातेदारी भूमि है।
4. यह कि आवेदित रास्ते हेतु प्रभावित हो रही भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा(हैक्टर)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नम खातेदार
1	4080/2321	0.10 हैक्टर	जाव सोयम	220*4=880 वर्गमीटर	चुन्नीलाल पुत्र वरदाराम वगैरा, जातिगण घांची नि सेवाडी

4. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 8,36,181/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।
5. पाईप लाईन स्थापित करने के लिये प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की अन्य क्षति वृक्ष, पक्का निर्माण नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत ने वकालतनामा मय लिखित आपत्ति पेश की। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष वकूलाय की बहस पर मनन व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि सेवाडी के खसरा न. 2333 रकबा 1.25 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई

पेज लगातार............02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/367

अनवान तुलसाराम बनाम चुन्नीलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

रास्ता नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदार भूमि खसरा न. 4080/2331 रकबा 1.92 हैक्टर में से रास्ता चाहा है। जिस पर तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि भू–अभिलेख सेवाडी द्वारा मौका स्थिति की जांच के पश्चात रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। जिस रिपोर्ट में तहसीलदार बाली ने स्वीकार किया है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए आवेदित मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। अप्रार्थीगण ने खसरा न. 2334 में से रास्ता होना आपति में वर्णित किया है परन्तु उक्त रास्ता तहसीलदार बाली की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 2 मीटर चौडा ही है जिससे खसरा न. 2334 के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया तथ्यों से परे होने से स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा 251–ए के तहत अप्रार्थीगण की खातेदार भूमि 4080/2321 रकबा 1.92 हैक्टर मे से 220*2= 440 वर्गमीटर का चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2333 रकबा 1.2500 हैक्टर में आवागमन हेतु रास्ते का विस्तार बाबत अप्रार्थी की भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 4080/2331 रकबा 1.9200 हैक्टर **मेंसे 440 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 836181/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
4080/2321	0.10 हैक्टर	220*2=440 वर्गमीटर	84	36960X2=73920	चुन्नीलाल पुत्र वरदाराम वगैरा, जातिगण घांची नि सेवाडी

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **73920/– (अक्षरे तिहत्तर हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान को अदा की जावेगी। तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदारान द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/763 – 767

दिनांक : 12-5-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, सेवाडी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक तुलसाराम पुत्र खेताजी जाति घांची निवासी करनवा तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner